

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई संस्थान-हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, RWA आदि, (BWG)100 कि०ग्रा० या 100 कि०ग्रा० से अधिक कूड़ा (सूखा व गीला कूड़ा) प्रतिदिन उत्सर्जित करती है। नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" के तहत सम्बंधित संस्था को उत्सर्जित कूड़े का स्वयं निष्पादन करना अनिवार्य है। यदि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है, तो नगर निगम रुद्रपुर उक्त अधिनियम के अनुसार संस्थान-हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, RWA आदि पर वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" की विस्तृत जानकारी नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

सूचित होवें।

-ह०-

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

-ह०-

जिलाधिकारी/प्रशासक
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक:-1428/स्वा०अनु०/2024-25

दिनांक-30 अगस्त, 2024

प्रतिलिपी-

- 1 - जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सम्पादक "दैनिक जागरण" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08x06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर